

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/875 दिनांक :- 1.7.25

कार्यालय आदेश

श्री विष्णु शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक 3852 दिनांक 14.06.2025 की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुक्रम में असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 02.06.2025 से 06.06.2025 तक कुल 05 दिवस

उक्त 05 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री विष्णु शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/875 दिनांक :- 1.7.25
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय ।
- 3 श्री विष्णु शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर
- 4 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)